

रेलवे प्रयोक्ता समितियाँ

3470. श्री रामावतार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकारी समिति, क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकारी समिति तथा मण्डलीय प्रयोक्ता सलाहकारी समिति गठित करने की परम्परा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या नई सरकार के गठन के बाद इन समितियों का अभी तक गठन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उक्त समितियों को कब तक गठित करने का विचार है?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री महिलकार्जुन) :

(क) से (ग) : जी हाँ। राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद, क्षेत्रीय रेल उपयोग कर्ता परामर्श समिति तथा मण्डलीय रेल उपयोग कर्ता परामर्श समिति के पुनर्गठन के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है।

हिसार जंक्शन

3471. श्री कुमाराम आर्य : क्या रेल मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि हिसार जंक्शन पर यात्रियों को सुविधा के लिए प्रतीक्षालय बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री महिलकार्जुन) :

हिसार रेलवे स्टेशन पर यात्रा यातायात

को सुविधा के लिए दूसरे दर्जे का एक प्रतीक्षालय (198 वर्ग मी० क्षेत्रफल) तथा उच्च दर्जे के दो प्रतीक्षालय (एक पुरुषों तथा दूसरा महिलाओं के लिए) प्रत्येक 23.5 वर्ग मी० क्षेत्रफल) पहले ही मौजूद हैं। इस समय किसी अतिरिक्त प्रतीक्षालय के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बच्चों के लिए अलग अस्पताल स्थापित करना

3472. श्री बृद्धि चंद्र जैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की कुल जनसंख्या में 48 प्रतिशत बच्चे हैं फिर भी देश में उनके लिए कोई गहन परिचर्या केन्द्र अथवा अलग अस्पताल नहीं हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा छठी योजना के दौरान बच्चों की विशेष परिचर्या के लिए और एक अलग अस्पताल की स्थापना करके उनके उपचार का प्रबन्ध करने के लिए क्या विशेष उपाय किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लालकर) :

(क) और (ख) . भारत के महापंजीयक की जनसंख्या प्रोजेक्शन के अनुसार 1 मार्च, 1981 को 0-14 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों का अनुपात 39-3 प्रतिशत होगा। देश के कई राज्यों में बच्चों के लिये अलग से अस्पताल हैं। अगर कहीं बच्चों के अलग से अस्पताल नहीं हैं तो भी सभी मेडिकल कालेजों में बाल सेग चिकित्सा विभाग हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों की विशेष चिकित्सा के लिये 281 जिला मुख्यालय